संख्याः–267/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30, दिसम्बर, 2016

विषयः– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289 / xxvii(7) / 2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश **दिनांक 01.01.2016** से प्रभावी समझे जाएगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण / समायोजन किया जाएगा।

2– इन आदेशों के अन्तर्गतः–

(क)– वर्तमान पेंशनर अथवा वर्तमान पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31.12.2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन / पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन / पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)– वर्तमान पेंशन' अथवा 'वर्तमान पारिवारिक पेंशन' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) अथवा मूल पारिवारिक पेंशन जैसा कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर

निर्धारणोपरान्त, वर्तमान पेंशनर अथवा वर्तमान पारिवारिक पेंशनर को देय हो, से है । इसमें 80 वर्ष एवं अधिक की आयु पर देय अतिरिक्त पेंशन शामिल नहीं होगी।

3– ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा, जिसे दिनांक 01.01.2016 के सन्दर्भ में मूल पेंशन माना जायेगा।

उदाहरण 1 :– माना कि पेंशनभोगी **'अ'** छठवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन बैण्ड 37400–67000 ग्रेड वेतन 10000 से दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को सेवानिवृत्त हुआ एवं सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन रू 65250 था।

छठवें वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	32625
सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन (32625X2.57)	83846.25 या 83847

उदाहरण 2 :– माना कि पेंशनभोगी **'ब'** चतुर्थ वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतनमान 3000–100–3500–125–4500 से दिनांक 31 जनवरी, 1989 को सेवानिवृत्त हुआ एवं सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन रू 4000 था।

चौथे वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	1940
छठवें वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	12600
सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन (12600X2.57)	32382

4– यदि राशिकरण भुगतान की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो उपरोक्तानुसार निर्धारित पेंशन के भुगतान के समय राशिकृत पेंशन की धनराशि घटा कर मासिक पेंशन दी जायेगी।

5– दिनांक 01.01.2016 से पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू 9,000/– (बुजुर्ग पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) होगी। पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन धनराशि रू0 2,25,000/– के क्रमशः 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत के बराबर होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी जिस पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
100 या अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

टिप्पणी– **(1)**–अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/– प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन रू0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 2,000/–, 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, (i) मूल पेंशन रू0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 3,000/– प्रतिमाह होगी।

(2)–उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार–पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से अंकित करेगें।

7– जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पुनर्नियुक्ति पर हों तथा उनकी मंहगाई राहत स्थगित हो, तो दिनांक 01.01.2016 के बाद ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत पूर्व की भांति पुनर्नियुक्ति की अवधि में स्थगित रखी जाय।

8– **मंहगाई राहतः–** इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

9– इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने जाने की अपेक्षा न की जाये।

10– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः– **/45/XXVII(10)/2016** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव